रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 18, 2007/वैशाख 28, 1929

No. 584] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 18, 2007/VAISAKHA 28, 1929

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2007

का.आ. 778(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

आदेश

श्री आई. जी. खंडेलवाल, राष्ट्रीय महासचिव, सावधान, भायंडर (प.) थाणे द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन 10 संसद् सदस्यों, अर्थात् (1) श्रीमती सोनिया गांधी, (2) डा. करण सिंह, (3) श्री संतोष गंगवार, (4) श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी, (5) श्री मोहम्मद सलीम, (6) श्री हन्नान मोल्लाह, (7) श्री अमिताव नंदी, (8) श्री स्वदेश चक्रवर्ती, (9) श्रीमती जया बच्चन और (10) श्री अमर सिंह की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाते हुए तारीख 24 मार्च, 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;

और राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 31 मार्च, 2006 के एक निर्देश द्वारा इस बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी है कि क्या ऊपर उल्लिखित 10 संसद् सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं;

और आयोग ने (1) श्रीमती सोनिया गांधी, (2) डा. करण सिंह, (3) श्री मोहम्मद सलीम, (4) श्री हन्नान मोल्लाह, (5) श्री अमिताव नंदी, (6) श्री स्वदेश चक्रवर्ती, (7) श्रीमती जया बच्चन (8) श्री अमर सिंह और (9) श्री संतोष गंगवार के संबंध में अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर अपनी राय पहले ही दे दी है;

और अब निर्वाचन आयोग ने श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर अपनी राय दे दी है जो मई, 2004 में हुए वर्तमान लोक सभा के साधारण निर्वाचन में 14वीं लोक सभा के सदस्य के रुप में निर्वाचित किए गए थे;

और श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी के संबंध में याचिका में यह अभिकथन है कि वह अध्यक्ष, पंचमहल सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड का पद धारण कर रहा है और याची की दलील के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा धारित ऊपर उल्लिखित पद सरकार के अधीन एक लाभ का पद है और प्रत्यर्थी ने संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन निरर्हता उपगत की है;

और निर्वाचन आयोग ने यह उल्लेख किया है कि श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी, अध्यक्ष, पंचमहल जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड का पद 6 जुलाई, 2006 से धारण कर रहा है जो गुजरात सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक निकाय है;

और निर्वाचन आयोग ने यह और उल्लेख किया है कि संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 का संशोधन करने के लिए संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था और 18 अगस्त, 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् अधिसूचित कर दिया गया था और उसने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अन्य पदों के साथ, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन किसी रजिस्टीकृत सोसाइटी के शासी निकाय के अध्यक्ष के पद को मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (ड) के अधीन, एक ऐसे पद के रुप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि याचिका में उठाया गया श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, तो वह संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है और इसलिए, श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी, अध्यक्ष, पंचमहल सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के पद पर उसकी नियुक्ति के कारण संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन निरर्हता के अध्यधीन नहीं है;

अतः, अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिश्चय करता हूं कि श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी अध्यक्ष, पंचमहल सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के पद पर उसकी नियुक्ति के कारण जैसा कि याचिका में अभिकथन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन निरर्हता के अध्यधीन नहीं है ।

10 मई, 2007

भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं. एच.-11026(9)/2007-वि. II]

डॉ. संजय सिंह, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

2006 का निर्देश मामला सं. 36

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

निर्देश :

संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी, संसद सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता ।

राय

संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से तारीख 31 मार्च, 2006 का एक निर्देश प्राप्त हुआ था जिसमें संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद के संबद्ध सदन के सदस्य होने के लिए दस संसद सदस्यों, अर्थात् (1) श्रीमती सोनिया गांधी, संसद सदस्य (लोक सभा), (2) डा. करण सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा), (3) श्री संतोष गंगवार, संसद सदस्य (लोक सभा) (4) श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी, संसद सदस्य (लोक सभा), (5) श्री मोहम्मद सलीम, संसद सदस्य (लोक सभा), (6) श्री हन्नान मोल्लाह, संसद सदस्य (लोक सभा), (7) श्री अमिताव नंदी (जिसका नाम गलती से अमृता नंदी उल्लिखित है) संसद सदस्य (लोक सभा), (8) श्री स्वदेश चक्रवर्ती, संसद सदस्य (लोक सभा), (9) श्रीमती जया बच्चन, संसद सदस्य (राज्य सभा) और (10) श्री अमर सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा) की अभिकथित निर्रहता के प्रश्न पर आयोग की राय मांगी गई थी ।

2. पूर्वोक्त दस संसद् सदस्यों की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न श्री आई.जी. खंडेलवाल, राष्ट्रीय महासचिव , सावधान, भायंडर (प.), थाणे द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 24 मार्च, 2006 की याचिका में उठाया गया था । याचिका में उल्लिखित् दस संसद सदस्यों में से नौ संसद सदस्यों, अर्थात् श्रीमती सोनिया गांधी, डा. करण सिंह, श्री मोहम्मद सलीम, श्री हन्नान मोल्लाह, श्री अमिताव नंदी, श्री स्वदेश चक्रवर्ती, श्रीमती जया बच्चन, श्री अमर सिंह और श्री संतोष गंगवार के संबंध में अपनी राय पहले ही दे दी है ।

3. वर्तमान राय शेष बचे एक प्रत्यर्थी अर्थात् श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है । श्री सोलंकी को मई, 2004 में आयोजित वर्तमान लोक सभा के साधारण निर्वाचन में चौदहवीं लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था । याचिका में उनके संबंध में यह अभिकथन था कि वह अध्यक्ष, पंचमहल जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0 (जिसे गलती से अध्यक्ष, सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0 कहा गया था) का पद धारण कर रहा है । याची ने यह दलील दी थी कि प्रत्यर्थी द्वारा धारित ऊपर उल्लिखित पद सरकार के अधीन एक लाभ का पद है और प्रत्यर्थी ने इस पद को धारण करने के कारण अनुच्छेद 102 (1)(क) के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है ।

4. याचिका के साथ इस दलील के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं लगा हुआ था कि वह पद जिस पर प्रत्यर्थी को नियुक्त किया गया था सरकार के अधीन एक लाभ का पद था । याचिका में निर्दिष्ट पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख के संबंध में कोई आधारिक जानकारी भीं याचिका में अंतर्विष्ट नहीं थी । किसी पद पर किसी सदस्य की नियुक्ति की तारीख इस बात को अवधारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या कोई मामला अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार विनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आता है । उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा सुस्थापित है [देखिए निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201); बृन्दाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एससी 1892); निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609)] कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग केवल ऐसे पदों से संबंधित प्रश्नों की ही जांच कर सकते हैं, जिन पर संसद् सदस्यों को, ऐसे सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात्, नियुक्त किया जाता है । इसलिए आयोग की तारीख 21 अप्रैल, 2006 की सूचना द्वारा याची को उस संबंध में 5 मई, 2006 तक अपेक्षित विनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।

5. तारीख 21.4.06 की सूचना के उत्तर में याची ने यह कथन करते हुए तारीख 10.5.06 का एक पत्र प्रस्तुत किया कि उसे सुसंगत सामग्री एकत्रित करने के लिए कम से कम तीन मास की अवधि अपेक्षित होगी और इसलिए अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तीन मास के और समय के लिए अनुरोध किया । आयोग ने इस अनुरोध पर विचार किया और याची को 22.06.2006 तक अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहा । तथापि, याची ने कोई दस्तावेज या

किसी प्रकार का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया । आयोग ने याची को एक और अवसर प्रदान करने का विनिश्चय किया और तारीख 14.8.2006 के पत्र द्वारा उसे 04.09.2006 तक अपेक्षित आधारिक ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कहा । पुनः याची ने आयोग के तारीख 14.08.2006 के पत्र का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया ।

6. चूंकि याची, उक्त पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख के संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी और उसे प्रोद्भूत लाभ, यदि कोई हो, के संबंध में अन्य ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए असमर्थ था, इसलिए आयोग ने अनुच्छेद 103(2) के अधीन उसे निर्दिष्ट अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए स्वयं को समर्थ बनाने हेतु गुजरात सरकार से सुसंगत जानकारी अभिप्राप्त करने का विनिश्चय किया । तदनुसार आयोग ने 6 अक्तूबर, 2006 के पत्र द्वारा सुसंगत जानकारी तारीख 31.10.2006 तक प्रस्तुत करने के लिए गुजरात सरकार के मुख्य सचिव से अनुरोध किया ।

7. गुजरात सरकार के कृषि और सहकारी विभाग ने तारीख 6 नवंबर, 2006 का एक उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें यह सूचना दी गई थी कि प्रत्यर्थी, गुजरात सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 की धारा 145 (ख) में यथाविहित किए गए अनुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए अध्यक्ष, पंचमहल जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संघ' कहा गया है) के पद पर 6 जुलाई, 2006 को निर्वाचित होने के पश्चात् से उक्त पद को धारण कर रहा है । कृषि और सहकारी विभाग ने यह और सूचना दी की कि प्रत्यर्थी को पूर्वोक्त संघ के अध्यक्ष के रूप में कोई वेतन, मजदूरी या मानदेय का संदाय नहीं किया जा रहा था सिवाय बैठक में उपस्थित होने के लिए वाहन सुविधाओं और मोबाइल/सेलुलर फोन सुविधाओं के । तथापि, कृषि और सहकारी विभाग ने किसी दस्तावेज, जैसे कि अभिकथित पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति करने वाले आदेश/अधिसूचना की कोई प्रति संलग्न नहीं की ।

8. यह समाधान हो जाने पर कि यह मामला पद पर निर्वाचन-पश्च नियुक्ति का मामला था, क्योंकि प्रत्यर्थी को मई, 2004 में हुए साधारण निर्वाचन में वर्तमान 14वीं लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था और वह 6 जुलाई, 2006 से अध्यक्ष, पंचमहल जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0 का पद धारण कर रहा है, कृषि और सहकारी विभाग से तारीख 4 दिसंबर, 2006 के एक पत्र द्वारा प्रत्यर्थी के अध्यक्ष, पंचमहल जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0 के रूप

में निर्वाचन से संबंधित सुसंगत दस्तावेजों और पूर्वोक्त संघ के संविधान की एक-एक प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था साथ ही, प्रत्यर्थी को 22 दिसंबर, 2006 तक अपना उत्तर फाइल करने के लिए भी कहा गया था । 18.12.2006 को प्रत्यर्थी ने यह कथन करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया कि 22.11.2006 से 19.12.2006 तक संसद का सत्र जारी था और इसलिए वह 22 दिसंबर, 2006 तक अपना उत्तर फाइल करने में असमर्थ था और उसने उत्तर फाइल करने के लिए चार सप्ताह के समय के लिए अनुरोध किया । आयोग ने अनुरोध पर विचार किया और उसे उत्तर फाइल करने के लिए 15.1.2007 तक का समय प्रदान किया । प्रत्यर्थी ने अपना तारीख 23.12.2006 का उत्तर फाइल किया जो आयोग को 15 जनवरी, 2007 को प्राप्त हुआ था । प्रत्यथी ने अपने लिखित कथन में यह स्वीकार किया कि वह अध्यक्ष, पंचमहल जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0 का पद धारण कर रहा था । तथापि, उसने इस बात से इन्कार किया कि पूर्वोक्त पद केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद है और यह दलील दी कि अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन अनुध्यात निरर्हता उसके मामले को लागू नहीं होती थीं । प्रत्यर्थी ने यह और कथन किया कि संघ गुजरात सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है और उसके अध्यक्ष का पद एक निर्वाचन पद है । प्रत्यर्थी ने यह भी कथन किया कि वह पूर्वोक्त संघ का अध्यक्ष होते हुए कोई लाभ अथवा आर्थिक फायदा प्राप्त नहीं कर रहा है । तब याची को 26 फरवरी, 2007 तक प्रत्यर्थी के लिखित प्रस्तुतिकरण के संबंध में उसका प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए कहा गया था । तथापि, याची ने अभी तक कोई प्रत्युत्तर फाइल नहीं किया है ।

9. आयोग ने अपने तारीख 4 दिसंबर, 2006 के पत्र द्वारा कृषि और सहकारी विभाग से अध्यक्ष, पंचमहल जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के रूप में प्रत्यर्थी के निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों और संघ की उपविधियों की प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए कहा था । उस विभाग ने अपने तारीख 18.12.06 के पत्र द्वारा इन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया । उन्होंने अपने अग्रेषण पत्र में यह और कथन किया कि पूर्वोक्त संघ, गुजरात सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक निकाय है ।

10. संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (जिसे संक्षेप में 1959 का मूल अधिनियम कहा गया है) का संशोधन करने के लिए संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा

अधिनियमित किया गया था और जिसे राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् 18.08.2006 को अधिसूचित किया गया था । संशोधन अधिनियम द्वारा, अन्य पदों के साथ, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के शासी निकाय के अध्यक्ष के पद को मूल अधिनियम की धारा 3(ड) के अधीन, एक ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा । मूल अधिनियम के इस संशोधन को 4 अप्रैल, 1959 से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए प्रवृत्त किया गया है ।

11. ऊपर पैरा 9 में उल्लिखित राज्य सरकार द्वारा, प्रस्तुत की गई सूचना से यह देखा गया है कि पंचमहल सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. गुजरात सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सहकारी सोसाइटी है । इस प्रकार, इस संघ के अध्यक्ष का पद 1959 के अधिनियम की धारा 3 के खंड (ड) के अंतर्गत ऐसे पद के रूप में आता है जिसे निरर्हता से छूट प्राप्त है ।

12. ऊपर पैरा 10 में उल्लिखित 2006 के संशोधन अधिनियम का वर्तमान निर्देश मामले से सीधा संबंध है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1959 के अधिनियम की धारा 3 के खंड (ड) के उपबंधों को 4.4.1959 से प्रवृत्त किया गया है । यह सुस्थापित स्थिति है कि अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी पद को ऐसे पद के रूप मे घोषित करने के लिए सशक्त है, जिसका धारक निरर्हित नहीं होगा । श्रीमती कान्ता कथूरिया बनाम एम. मानक चंद सुराना {1970(2)एससीआर 838} में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस सांविधानिक स्थिति को मान्य ठहराता है । पूर्व में भी, आयोग ने विधान मंडलों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पारित ऐसी ही विधियों का संज्ञान किया है जब, संबंधित निर्देशों के संबंध में जांच चल रही थी । इस संबंध में कुछ नवीनतम उदाहरण आयोग की 2006 के निर्देश मामला सं. 2 में तारीख 8.9.2006 की राय, 2006 के निर्देश मामला सं. 3 में तारीख 8.9.2006 की राय, 2006 के निर्देश मामला सं. 4, 45, 75 और 77 में तारीख 8.9.2006 की राय, 2006 के निर्देश मामला सं. 9 में तारीख 14.9.2006 की राय, 2006 के निर्देश मामला सं. 12 और 25 में तारीख 8.9.2006 की राय, आदि हैं । वर्तमान मामला तथ्यों और परिस्थितियों में ऊपर निर्दिष्ट मामलों के समान ही है और निरर्हता, यदि कोई थी, को हटाने वाली विधि के संशोधित उपबंध पूर्ण रूपेण इस मामले को लागू होते हैं । इसके अतिरिक्त,

अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों से यह देखा गया है कि प्रत्यर्थी को अध्यक्ष, पंचमहल सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के पद पर गुजरात सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 की धारा 145(ख) के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित किया गया था और यह सरकार द्वारा नियुक्ति किए जाने का मामला नहीं था । किसी भी दशा में, 1959 के अधिनियम की धारा 3(ड) के उपबंधों को देखते हुए इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या यह पद अनुच्छेद 102(1)(क) के प्रयोजन के लिए सरकार के अधीन कोई पद है ।

13. उपर्युक्त सांविधानिक, विधिक और ताथ्यिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग का सुविचारित मत है कि ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट, याचिका में उठाया गया श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है । तदनुसार, राष्ट्रपति से प्राप्त ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट निर्देश को आयोग की इस आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी, अध्यक्ष, पंचमहल सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. के पद पर अभिकथित नियुक्ति के कारण, जैसा कि याचिका में अभिकथित है, अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।

ह./-	ह./-	ह./-
(एस.वाई. कुरेशी) निर्वाचन आयुक्त	(एन. गोपालस्वामी) मुख्य निर्वाचन आयुक्त	(नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मार्च, 2007

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2007

S.O. 778(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas a petition dated the 24th March, 2006 raising the question of alleged disqualification of 10 Members of Parliament, namely, (1) Smt. Sonia Gandhi, (2) Dr. Karan Singh, (3) Shri Santosh Gangwar, (4) Shri Bhupendra Sinh Prabhat Sinh Solanki, (5) Shri Mohammed Salim, (6) Shri Hannan Mollah, (7) Shri Amitava Nandy, (8) Shri Swadesh Chakraborty, (9) Smt. Jaya Bachchan and (10) Shri Amar Singh, under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri I.G. Khandelwal, National General Secretary, SAVDHAN, Bhayandar (W), Thane;

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 31st March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether the above-mentioned 10 Members of Parliament have become subject to disqualification for being a Member of Parliament under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has already tendered its opinion on the question of alleged disqualification with regard to (1) Smt. Sonia Gandhi, (2) Dr. Karan Singh, (3) Shri Mohammed Salim, (4) Shri Hannan Mollah, (5) Shri Amitava Nandy, (6) Shri Swadesh Chakraborty, (7) Smt. Jaya Bachchan (8) Shri Amar Singh and (9) Shri Santosh Gangwar;

And whereas the Election Commission has now tendered its opinion on the question of alleged disqualification of Shri Bhupendra Sinh Prabhat Sinh Solanki, who was elected as a Member of 14th Lok Sabha at the general election to the current House of the People, held in May, 2004;

2450 GI/07-3

And whereas the allegation in the petition with regard to Shri Bhupendra Sinh Prabhat Sinh Solanki is that he has been holding the office of Chairman, Panchmahal Co-operative Milk Producers' Union Limited and as per the contention of the petitioner the above-mentioned office held by the respondent is an office of profit under the Government and the respondent has incurred disqualification under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has noted that Shri Bhupendra Sinh Prabhat Sinh Solanki has been holding the office of the Chairman, Panchmahal District Co-operative Milk Producers' Union Limited, since 6th July, 2006, which is a body registered under the provisions of the Gujarat Co-operative Societies Act, 1961;

And whereas the Election Commission has further taken note of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, amending the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, which was enacted by Parliament and notified after the Presidential assent on the 18th August, 2006, and the fact that the office of Chairman, among others, of the Governing Body of any society registered under the Societies Registration Act, 1860 or under any other law relating to registration of societies, has been declared, under clause (m) of section 3 of the Act, as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a Member of Parliament;

And whereas the Election Commission has tendered its opinion (*vide* Annex) that the question of alleged disqualification of Shri Bhupendra Sinh Prabhat Sinh Solanki raised in the petition, has now become infructuous as the alleged disqualification, if at all there was any, stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006 and, therefore, Shri Bhupendra Sinh Prabhat Sinh Solanki is not subject to disqualification under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution on account of his appointment to the office of the Chairman, Panchmahal Co-operative Milk Producers' Union Limited;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that Shri Bhupendra Sinh Prabhat Sinh Solanki is not subject to disqualification under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution on account of his appointment to the

office of the Chairman, Panchmahal Co-operative Milk Producers' Union Limited, as alleged in the petition.

10th May, 2007 President of India

[F. No. H-11026(9)/2007-Leg. II]

Dr. SANJAY SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 36 of 2006

[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

In *re:*
Alleged disqualification of Shri Bhupendra Sinh Prabhat Sinh Solanki, Member of Parliament (Lok Sabha), under Article 102 (1) (a) of the Constitution

OPINION

A reference dated 31st March, 2006 was received from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking the opinion of the Election Commission on the question of alleged disqualification of ten MPs, viz. (1) Smt. Sonia Gandhi, MP (Lok Sabha), (2) Dr.Karan Singh, MP (Rajya Sabha), (3) Shri Santosh Gangwar, MP (Lok Sabha), (4) Shri Bhupendra Sinh Prabhat Sinh Solanki, MP (Lok Sabha), (5) Shri Mohammed Salim, MP (Lok Sabha), (6) Shri Hannan Mollah, MP (Lok Sabha), (7) Shri Amitava Nandy, (name wrongly mentioned as Amrita Nandy), MP (Lok Sabha), (8) Shri Swadesh Chakraborty, MP (Lok Sabha), (9) Smt. Jaya Bachchan, MP (Rajya Sabha), and (10) Shri Amar Singh, MP (Rajya Sabha), for being Members of the House concerned of the Parliament under Article 102 (1)(a) of the Constitution.

2. The question of alleged disqualification of the aforesaid ten MPs was raised in a petition dated 24th March, 2006, submitted to the President by Sh. I. G. Khandelwal, National General Secretary, SAVDHAN, Bhayandar (W), Thane. Out of the ten MPs mentioned in the petition, the Commission has already

tendered its opinions with regard to nine MPs, namely Smt. Sonia Gandhi, Dr. Karan Singh. Shri Mohammed Salim, Shri Hannan Mollah. Shri Amitava Nandy, Shri Swadesh Chakraborty. Smt. Jaya Bachchan. Shri Amar Singh and Shri Santosh Gangwar.

3. The present opinion relates to the question of alleged disqualification of the remaining one respondent. viz. Shri Bhupendra Sinh Prabhat Sinh Solanki. Sh. Solanki was elected as a member of 14th Lok Sabha at the general election to the current House of the People, held in May 2004. The allegation in the petition with regard to him was that he has been holding the office of the Chairman,Panchmahal Co-operative Milk Producers' Union Ltd (wrongly mentioned as Chairman,Co-operative Milk Producers Union Ltd.). The petitioner contented that the above mentioned office held by the respondent is an office of profit under the Government and the respondent has incurred disqualification under Article 102 (1) (a) on account of his holding this office.

4. The petition was not accompanied by any document to support the contention that the office to which the respondent had been appointed was an office of profit under the Government. The petition did not even contain the basic information about the date of appointment of the respondent to the office referred to in the petition. The date of appointment of a Member to an office is vital to determine whether the case falls within the jurisdiction of the President to decide in terms of Article 103 (1). It is well settled by catena of decisions of the Supreme Court {See Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201); Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892); Election Commission Vs. N.G.Ranga (AIR 1978 SC 1609)} that under Article 103 of the Constitution, the President and the Election Commission can look into the questions of only those offices to which the Members of Parliament are appointed after their election as such Members. The petitioner was, therefore, asked to

furnish, by 5th May, 2006. specific information in that regard, vide the Commission's Notice dated 21st April, 2006.

5. In reply to the notice dated 21.4.06. the petitioner submitted a letter dated 10.5.06. stating that he would require a minimum period of three months to collect the relevant material, and, therefore. requested for further time of three months to furnish the requisite details. The Commission considered the request and asked the petitioner to submit the requisite information/documents by 22.06.2006. However, the petitioner did not submit any document or reply whatsoever. The Commission decided to afford another opportunity to the petitioner. and vide letter dated 14.8.2006. asked him to furnish the requisite basic details latest by 04.09.2006. The petitioner, again, did not submit any reply to the Commission's letter dated 14.08.2006.

6. As the petitioner was not able to furnish specific information about the date of appointment of the respondent to the said office and other details about the profit, if any, accruing to him. the Commission decided to obtain the relevant information from the Government of Gujarat, to be able to give its opinion to the President on the question of alleged disqualification referred to the Commission under Article 103(2). Accordingly, vide letter dated 6th October 2006, the Commission requested the Chief Secretary. Government of Gujarat to furnish the relevant information by 31.10.2006.

7. The Agriculture and Co-operative Department. Government of Gujarat submitted a reply dated 6th Nov. 2006. informing therein that the respondent has been holding the office of Chairman. Panchmahal District Coop. Milk Producers' Union Limited (hereinafter referred as 'the Union') since 6th July. 2006 after getting elected to the said post under the procedure followed as prescribed in Section 145(B) of the Gujarat Cooperative Societies Act. 1961. The Agriculture

and Co-operative Department further informed that the respondent as Chairman of the aforesaid Union, was not being paid any salary. wages or honorarium except, getting vehicle facilities to attend the meetings and mobile/cellular phone facilities. However, the Agriculture and Co-operative Department did not enclose any copy of any document, such as Order/notification making the appointment of the respondent to the alleged office.

8. On being satisfied that this was a case of post-election appointment to the office as the respondent was elected as a member of the current 14th Lok Sabha at the general election held in May 2004 and he has been holding the office of the Chairman. Panchmahal District Co-operative Milk Producers' Union Limited since 6th July, 2006, the Agriculture and Co-operative Department was asked, vide letter dated 4th December. 2006, to submit a copy each of the relevant documents relating to the election of the respondent as the Chairman of the Co-operative Milk Producers' Union and the constitution of the aforesaid Union. Simultaneously, the respondent was also asked to file his reply by 22nd December 2006. On 18-12-2006, the respondent submitted an application stating that the Parliament was in Session from 22.11.2006 to 19.12.2006 and hence he was unable to file his reply by 22nd Dec. 2006 and requested for four weeks' time to file the reply. The Commission considered the request and granted him time upto 15-1-2007 for filing the reply. The respondent filed his reply dated 23-12-2006, received in the Commission on 15th January 2007. The respondent in his written statement. admitted that he was holding the office of Chairman, Panchmahal District Coop. Milk Producers' Union Limited. He. however, denied that the aforesaid office is an office of profit, either under the Central Government or the State Government and contended that the disqualification contemplated under Article 102(1)(a) did not apply to his case. The respondent further stated that the Union is a Society registered under the Gujarat Cooperative Societies Act. 1961 and the post of Chairman is an elective post. The respondent has also stated that

he does not derive any profit or monetary gain for being the Chairman of the aforesaid Union. The petitioner was, then, asked to file his rejoinder to the written submission of the respondent by 26th February 2007. However, the petitioner has not filed his rejoinder so far.

9. The Commission, vide its letter dated 4th December, 2006, had asked the Agriculture and Co-operative Department to furnish copies of the documents relating to the election of the respondent as the Chairman, Panchamal District Co-operative Milk Producers' Union and copy of the bye-laws of the Union. That Department submitted these documents, vide their letter dated 18.12.06. They further stated in their forwarding letter that the aforesaid Union is a body registered under the provisions of the Gujarat Cooperative Societies Act, 1961.

10. The Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, amending the Parliament (Prevention of Disqualification) Act,1959 (1959 Act for short), was enacted by the Parliament and notified after the Presidential assent on 18.8.2006. By the Amendment Act, the office of Chairman, among others, of the Governing Body of any society registered under the Societies Registration Act, 1860 or under any other law relating to registration of societies, has been declared, under Section 3 (m) of the Principal Act, as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as, and for being, Member of Parliament. This amendment to the Principal Act has been brought into force with retrospective effect from 4th April, 1959.

11. From the information furnished by the State Government, mentioned at paragraph 9 above, it is seen that the Panchmahal Co-operative Milk Producers' Union Ltd. is a Co-operative Society registered under the provisions of the Gujarat Co-operative Societies Act, 1961. Thus, the office of the Chairman of this Union

is covered under clause (m) of Section 3 of the 1959 Act, as an office exempted from disqualification.

12. The Amendment Act of 2006, mentioned at para 10 above, has a direct bearing on the present reference case. As mentioned above, the provisions of clause (m) of Section 3 of the 1959 Act, have been brought into force with effect from 4.4.1959. It is a settled position that under Article 102(1)(a), the Parliament is empowered to declare, with retrospective effect, an office to be an office the holder whereof shall not be disqualified. The decision of the Supreme Court in Smt. Kanta Kathuria vs. M. Manak Chand Surana [1970 (2) SCR 838] upholds this constitutional position. In the past also, the Commission has taken cognizance of similar laws passed by the legislatures with retrospective effect, even as enquiry into the references concerned was in progress. Some of the latest instances are the Commission's Opinion dated 8.9.2006 in Reference Case No. 2 of 2006, Opinion dated 8.9.2006 in Reference Case No. 3 of 2006 Opinion dated 8.9.2006 in Reference Cases Nos. 4,45,75 & 77 of 2006. Opinion dated 14.9.2006 in Reference Case No. 9 of 2006. Opinion dated 8.9.2006 in Reference Cases Nos. 12 & 25 of 2006 etc. The present case is similar in facts and circumstances to the above referred cases and the amended provisions of law removing the disqualification, if any, squarely apply in this case. Further, from the documents placed on record, it is seen that the respondent was elected to the Office of the Chairman, Panchmahal Co-operative Milk Producers' Union as per the provisions of Section 145(B) of the Gujarat Co-operative Society Act 1961 and it was not a case of appointment by the Government. In any case, in view of the provisions of Section 3(m) of the 1959 Act, it is not necessary to go into the issue whether this office would be an office under the Govt. for the purpose of Article 102(1)(a).

13. Having regard to the above constitutional, legal and factual position, the Commission is of the considered view that the question of alleged disqualification

of Shri Bhupendra Sinh Prabhat Sinh Solanki raised in the petition, referred to in paragraph 1 above, has now become infructuous as the alleged disqualification, if at all there was any, stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006. Accordingly, the reference from the President referred to in paragraph 1 above is returned with the Commission's opinion to the effect that the Shri Bhupendra Sinh Prabhat Sinh Solanki is not subject to disqualification under Article 102(1)(a) on account of his appointment to the office of the Chairman, Panchmahal Co-operative Milk Producers' Union Ltd., as alleged in the petition.

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(S.Y.Quraishi)	**(N.Gopalaswami)**	**(Navin B.Chawla)**
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

Place: New Delhi
Dated: 20th March, 2007

24509/07-05

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.